संख्या-766/2024/आई/837194/23-1-24/012-23-1002(002)/97/2024

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा के स्वीकृत कुल 31 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-11506/CE-HQ1/RSN5054/GON/2024-25, दिनांक 26.12.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **देवीपाटन मण्डल के जनपद गोण्डा के स्वीकृत कुल 31 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 2,94,65,000/- (रूपये दो करोड़ चौरानबे लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-5054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 गोण्डा	तुलसीपुर सम्पर्क मार्ग से भीटीभद्रवल होते हुए बर्रापुर नौबरा तक सम्पर्क मार्ग	91 रासनि /23-1-19-95 रासनि/18 दिनांक 02.03.2019 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23	314.79 314.79 294.21 0.30 314.49	309.01	5.48	5.48

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-02-03-2019				
2	नि.ख.-1 गोण्डा	ग्राम पंचायत पिपरी रोहुआ में गढ़ी से रोहुआ काली स्थान जूनियर हाई स्कूल महाशिव शक्ति मंदिर होते हुए लोनियनपुरवा बैकुण्ठधाम धार्मिक स्थल शिवाला तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-08-01-2022	351.52 351.52 214.40 0.64 350.88	334.38	16.50	16.50
3	नि.ख.-1 गोण्डा	ग्राम पंचायत अकबरपुर में पी0डब्लू0डी0 सड़क से गोदाम लाला गडरियरपुरवा, पोखरा, लक्षमनदा बाबा स्ाि्ान होते हुए धार्मिक स्थल सांई मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-08-01-2022	355.45 355.45 223.32 0.56 354.89	338.22	16.67	16.67
4	नि.ख.-1 गोण्डा	नौबस्ता मार्ग से डललापुर मार्ग होकर धार्मिक स्थल मडहा सम्मय मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-08-01-2022	247.53 247.53 140.60 0.42 247.11	235.58	11.53	11.53
5	नि.ख.-1 गोण्डा	नरायनपुर सतिया मार्ग से खतरिया, ग्रिन्टवा, रामरूपवासतिया, बुटाह, डिधिया परसापुर होते हुए	56/2022/1365 रासनि/23-1-21-05 रासनि/21 टी0सी0 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-	358.65 358.65 275.58 1.41 357.24	340.71	16.53	16.53

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		थनवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-07-01-2022				
6	प्रा.ख. गोण्डा	तेजाजोत से बधईभारी नरसिंहडीह छिटौहनी हरसिंहपुर तेलियनपुरवा होते हुये धनौरी बिहुरी गांव तक सम्पर्क मार्ग	16 वी0आई0पी0 /23-1-19-80 रासनि /18 दिनांक 21.01.2019 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-21-01-2019	327.96 327.96 152.08 0.10 327.86	326.57	1.29	1.29
7	प्रा.ख. गोण्डा	मतवरिया से कोहरे, पहलेपार, डुडाव, सिंगरीपुरवा होते हुए बृजवासी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	134 रासनि /23-1-19-6 रासनि/18 दिनांक 2.3.2019 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-02-03-2019	480.51 480.51 379.31 0.45 480.06	479.50	0.56	0.56
8	प्रा.ख. गोण्डा	खरगूपुर इकौना मार्ग से रमड़िया, हरीशचन्द्रपुर, छिटनापुर होते हुए रनियापुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	134 रासनि /23-1-19-6 रासनि/18 दिनांक 2.3.2019 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-02-03-2019	400.48 400.48 307.74 0.08 400.40	395.62	4.78	4.78
9	प्रा.ख. गोण्डा	ग्राम कुन्जलपुर से डुफलपुरवा, तेलीपुरवा होते हुए मरौतिया गांव तक सम्पर्क मार्ग।	108 रासनि /23-1-19-28 रासनि/18 दिनंाक 02.03.2019 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-02-03-2019	313.14 313.14 242.80 0.62 312.52	311.50	1.02	1.02
10	प्रा.ख. गोण्डा	ग्राम रेडौरा से कंचनपुर तुरकाडीहा	108 रासनि /23-1-19-28 रासनि/18 दिनंाक	298.97 298.97	297.99	0.43	0.43

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		गोडवा होते हुए रामपुर खास तक सम्पर्क मार्ग।	02.03.2019 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-02-03-2019	231.27 0.55 298.42			
11	प्रा.ख. गोण्डा	पण्डरी पारासराय नहर से दुल्हापुर गजाधर देवभरी तिर्रेमनोरमा होते हुए भयपुरा नल्हीहोते सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	138 रासनि /23-1-19-137 रासनि /18 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-01-03-2019	418.43 418.43 337.01 0.08 418.35	413.58	4.77	4.77
12	प्रा.ख. गोण्डा	लालनगर से परसदा प्राइमरी पाठशाला होते हुए खरगूपुर विशुनापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	166 रासनि /23-1-19-146 रासनि /19 दिनांक 10.3.2019 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-10-03-2019	249.98 249.98 202.49 0.05 249.93	249.25	0.68	0.68
13	प्रा.ख. गोण्डा	बिरतीया सम्पर्क मार्ग	75 /2020/606 रासनि/23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-20-03-2020	185.94 185.94 144.11 1.09 184.85	184.47	0.38	0.38
14	प्रा.ख. गोण्डा	मनकापुर उतरौला मार्ग पर पुलिस चौकी से रमवापुर तक सम्पर्क मार्ग	75 /2020/606 रासनि/23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023	133.92 133.92 100.41 0.53 133.39	127.25	6.14	6.14

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			दिनांक 18.10.2024-दिनांक-20-03-2020				
15	प्रा.ख. गोण्डा	मरौतिया बडीसम्पर्क मार्ग	75 /2020/606 रासनि/23-1-20-2 रासनि/19 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-20-03-2020	128.30 128.30 100.26 0.53 127.77	126.88	0.89	0.89
16	प्रा.ख. गोण्डा	लक्ष्मनपुर से पठानपुरवा धोतही होते हुये चौरगडही लालनगर गौराभारी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-16-07-2021	414.09 414.09 320.52 0.65 413.44	400.86	12.58	12.58
17	प्रा.ख. गोण्डा	अलावल देवरिया से छेदाजोत मार्ग होते हुये बग्गी रोड बाजार पंडित परसिया 2 सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-16-07-2021	259.36 259.36 199.47 0.71 258.65	250.10	8.55	8.55
18	प्रा.ख. गोण्डा	बनघुसरा का बडहरवा सम्पर्क मार्ग	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-16-07-2021	130.83 130.83 102.40 0.53 130.30	124.15	6.15	6.15
19	प्रा.ख. गोण्डा	घारीघाट का राम चन्दर लोहारडीह सम्पर्क मार्ग	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23	107.15 107.15 83.81 0.43 106.72	102.43	4.29	4.29

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-16-07-2021				
20	प्रा.ख. गोण्डा	औराडीह का घुराहीजोत / गोसाईजोत सम्पर्क मार्ग	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-16-07-2021	195.22 195.22 152.92 0.70 194.52	185.86	8.66	8.66
21	प्रा.ख. गोण्डा	मढवाखुर्द का मढवाखुर्द सम्पर्क मार्ग	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-16-07-2021	225.50 225.50 176.95 0.72 224.78	214.78	10.00	10.00
22	प्रा.ख. गोण्डा	मरैलाडीह का रामपालडीह सम्पर्क मार्ग	153/2021/289 रासनि/23-1-21-104 रासनि/20 टीसी-3 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-16-07-2021	186.92 186.92 146.77 0.67 186.25	177.93	8.32	8.32
23	प्रा.ख. गोण्डा	जिगना अधियारी मार्ग से बसवारी पालपुरवा होते हुए पांडेपुरवा नरेशवा दोम्हा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	261/2021/1084 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-02-11-2021	340.61 340.61 265.29 0.60 340.01	318.36	21.65	21.65
24	प्रा.ख. गोण्डा	रामपुर दुबावल प्रधानमंत्री सड़क से शान्तिनगर होते हुए पूरे बेचूपुरवा सम्पर्क	261/2021/1084 रासनि/23-1-21-10 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश	434.76 434.76 338.06 0.53 434.23	415.16	19.07	19.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		मार्ग का निर्माण कार्य।	संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-02-11-2021				
25	प्रा.ख. गोण्डा	अर्जुनपुर सरकाण्ड प्रा0 वि0 हिंदूनगर खास होते हुए हुयेविजयगढ़वा करिमनगर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-08-01-2022	339.07 339.07 245.75 1.25 337.82	321.98	15.84	15.84
26	प्रा.ख. गोण्डा	रानीजोत नहर से भसपुरवा डेबरी गोसाईपुरवा बैराठपुर मुरवानपुरवा होते हुए राजापुर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-08-01-2022	410.01 410.01 288.58 1.47 408.54	389.39	19.15	19.15
27	प्रा.ख. गोण्डा	खरगूपुर मार्ग से ललकपुरवा, पटखौली होते हुए भाटपुरवा, भूलईपुरवा पटखौली खास सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-08-01-2022	295.57 295.57 213.55 0.60 294.97	281.15	13.82	13.82
28	प्रा.ख. गोण्डा	मूर्तिहा चैराहा से नहेश भारी खास बड़ईपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-08-01-2022	257.11 257.11 180.32 0.55 256.56	244.54	12.02	12.02

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
29	प्रा.ख. गोण्डा	राघव बस्ती से खरईभरी सम्पर्क मार्ग	53/2022/401 रासनि/23-1-21-09 रासनि/21 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-08-01-2022	338.46 338.46 181.72 0.93 337.53	321.55	15.98	15.98
30	प्रा.ख. गोण्डा	पूरे तेंदुआ कुतुबगंज से खरिहा होते हुए दाहुकपुरवा लोनियनपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	43/2022/629 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टी0सी0 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-07-01-2022	348.53 348.53 244.50 0.60 347.93	331.63	16.30	16.30
31	प्रा.ख. गोण्डा	इटियाथोक खरगूपुर मार्ग से स्वामी सर्वदानन्द विद्यालय के दक्षिण से खटिकनपुरवा बेदुली होते हुए छिछुली गॉव कोरीपुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।	43/2022/629 रासनि/23-1-21-14 रासनि/21 टी0सी0 तथा 6% अतिरिक्त GST विषयक पुनरीक्षित शासनादेश संख्याः 535/2024/आई/774613/23-1-24-23-1002(002)/218/2023 दिनांक 18.10.2024-दिनांक-07-01-2022	313.81 313.81 222.06 0.55 313.26	298.64	14.62	14.62
						कुल योग-	**294.65**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/ विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **कुल रू0 2,94,65,000/- (रूपये दो करोड़ चौरानबे लाख पैंसठ हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक 5054043375800** राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ चौड़ीकरण मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-766/2024/आई/837194(1)/23-1-24/012-23-1002(002)/97/2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।